

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 467]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 नवम्बर 2019—अग्रहायण 7, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ बी-1-38-2019-2-पांच (22).—विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग ग) के साथ पठित आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए ज्ञापन क्रमांक 6-ब-2-लायसेंस-2019-1745, दिनांक 29 जुलाई 2019 के खण्ड (तीन) के उप-खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नानुसार रिसोर्ट बार अनुज्ञप्ति (एफ. एल.-3-क) प्रदान करती है, अर्थात् :—

- (एक) हैरीटेज पर्यटन क्षेत्र—सांची, भीम बैठका, खजुराहो, माण्डू एवं ओरछा
- (दो) धार्मिक पर्यटन क्षेत्र—मैहर एवं चित्रकूट
- (तीन) प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र—पचमढ़ी, तामिया, पातालकोट एवं उदयनिरि
- (चार) पर्यटन विभाग द्वारा जल पर्यटन हेतु अधिसूचित बांध एवं जलाशय क्षेत्र में स्थापित रिसोर्ट.—गांधी सागर (मंदसौर), तवा बांध (होशंगाबाद), बाणसागर बांध (रीवा), मणीखेड़ा, चाँदपाठा बांध (शिवपुरी), गंगड बांध (पन्ना), मान बांध (धार), जोबट फाटा बांध (अलीराजपुर), गोविन्दगढ़ जलाशय (रीवा), माचागोरा बांध (छिन्दवाड़ा), साँपना बांध (बैतूल) एवं धोलाबड जलाशय (रतलाम).

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्र. बी-1-38-2019-2-पांच (22).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-38-2019-2-पांच (22), दिनांक 27 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 27th November 2019

No. F-B-1-38-2019-2-V-(22).—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-rule (1) of rule 8 of Foreign Liquor Rules, 1996 read with sub-clause (kha) of clause (iii) of memorandum No. 6-B-2-license-2019-1745, dated 29 July 2019 issued by the Excise Commissioner, the State Government hereby, grants Resort Bar License (F. L.-3-A) as under :—

- (i) Heritage Tourist Area—Sanchi, Bhim Betika, Khajuraho, Mandu and Orchha.
- (ii) Religious Tourist area—Maihar and Chitrakoot.
- (iii) Natural Tourism Area—Pachmarhi, Tamia, Patalkot and Udayagiri.
- (iv) Resorts set up in the dams and water area notified by the Tourism Department for water tourism.—Gandhi Sagar (Mandasaur), Tawa Dam (Hoshangabad), Bansagar Dam (Rewa), Manikheda, Chandapatha Dam (Shivpuri), Gangau Dam (Panna), Maan Dam (Dhar), Jobat Phata Dam (Alirajpur), Govindgarh reservoir (Rewa), Machagora Dam (Chhindwara), Saapna Dam (Betul) and Dholabad Reservoir (Ratlam).

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.